

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय शप:

अश्वित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2792-PMT COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस भी नवीनतम दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिवत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दापर किया जाता है तथा दापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनिकी द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संघटित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

पु०सं०- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, PMT COLLEGE OF PHARMACY



(एफ०आर० खान)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रमों प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2792-PMT COLLEGE OF PHARMACY VILL-MAZRUDOINPUR,PARGANA-PASCHIM RATH,TEHSIL-BIKAPUR,FAIZABAD

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीन पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।

- ✓ संस्था की समय-समय पर निर्मित वारन्टाइस की अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एओआईसीटीआई/पीसीओआई/पीसीओआई/पीसीओआई से आगामी रूप हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/निर्णय/अधिनियम/शासनदेशी/निर्देशी एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ क्विलिफाइड इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ क्विलिफाइड इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु क्विलिफाइड इन फार्मसी प्रवेश होने के पूर्व पीसीओआई/पीसीओआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (क्विलिफाइड इन फार्मसी से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, राज-सञ्जा, उपकरण, प्रांच किया जाने वाला सुनिश्चित, साक्षात्कार सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ शैली रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो वास्तव संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-सञ्जा एओआईसीटीआई/पीसीओआई/पीसीओआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुसं- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, PMT COLLEGE OF PHARMACY VILL-MAZRUDDINPUR, PARGANA - PASCHIM RATH, TEHSIL - BIKAPUR, FAIZABAD

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

संलग्नक दिनांक: 14-9-2020

-कार्यालय आग-

अखिल भारतीय जननीयो शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पार्वती पाठशाला आंग इन्दिरा, नई दिल्ली द्वारा प्राथमिक सत्र 2020-21 हेतु द्वितीय राष्ट्रीय जननीयो शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संलग्नक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को प्रथम प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठशाला/इवेंट कक्षाएं प्रदि सहित अन्य शर्तों पर विचार केली एवं सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को बैठक की गद-3 में दिनांक इन फार्मों पर पाठशाला संघालित करने वाली पूर्व से संघालित संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मों पर पाठशाला संघालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें नशात अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अंकित पाठशाला/प्रदेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को प्रदत्त सम्बद्धता समिति को बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संलग्नक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठशाला एवं इवेंट अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. संख्या संख्या संकेत	संस्था का नाम	पाठशाला का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठसीआईओ /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2020	डिप्लोमा इन फार्मों पर पाठशाला संघालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें नशात अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अंकित पाठशाला/प्रदेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीठसीआईओ/पीठसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेनेटर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुलभ तीन वर्षीय द्वितीय पाठशाला हेतु रु. 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय तृतीय पाठशाला हेतु रु. 30-

(Handwritten Signature)

45,000.00/- प्रतिवर्ष एक एक तथा दो वर्षीय कार्यक्रमों (दो वर्षीय पारंपरिक कार्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु 10-22,500.00 प्रतिवर्ष सुन्दा ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। कार्यक्रमों के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से सुन्दा के सम्बन्ध में समझ-समझ पर आदान द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रायोजकता प्रस्तावों को भी और परन्तुकार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। बीस दिवसीय सीटों द्वारा यदि रात्रि 2020-21 हेतु सीट का पुनर्विचार किया जाता है, तो बीस ही सीटों पर चले जायेंगी।

- ✓ संस्था को (कक्षा अतिरिक्त शिक्षा सुविधियाँ तथा एक अतिरिक्त, रात्रिवासी को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के विस्तार पर जाने की स्थिति में प्रस्ताव प्रवेश कक्षाओं के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समझ-समझ पर निर्गत आदानादेश को अनुसार विद्यमान एवं सम्बद्धता सुन्दा प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/रीजल्ट/प्री/पेपर/पेपर/पेपर से जागगी रात्रि हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था प्रस्ताव प्रवेश कक्षाओं द्वारा कराये गये शिक्षा/विद्यार्थी/अतिरिक्त/शास्त्रादेश/निदेशों एवं निर्देश, अतिरिक्त शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा अतिरिक्त शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा किये गये विधान, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालना करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विनियम इन पारंपरिक कार्यक्रमों के अलावा यदि पीजीआई, या दिल्ली से अनुपालन प्राप्त करने में असमर्थ जाती है तो इस संबंध में राष्ट्रीय उच्चशिक्षण बोर्ड का लोग और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। अतिरिक्त शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, अतिरिक्त शिक्षा विदेशादेश एवं अतिरिक्त शिक्षा विचार प्रस्ताव प्रवेश कक्षाओं को कोई भी रात्रि प्राप्त किया जाता है तथा रात्रि का ही संबंध में या, परन्तुकार द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है-तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधी संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन पारंपरिक कार्यक्रमों को अतिरिक्त करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चशिक्षण बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा हेतु अतिरिक्त प्राप्त होने के पूर्व पीजीआई से अनुपालन प्राप्त कर अतिरिक्त आदानादेश को समझ-समझ करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यवाही) के सम्बन्ध में अथवा संस्था रात्रि पर सीटों प्रवेश) अनुपालन नहीं करना की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत नीतिगत आदानादेश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट का संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुन्दा, समझ-समझ सुन्दा अतिरिक्त या विद्यार्थी उपकरण करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-अधिष्ठापन हेतु परन्तुकार परन्तुकार आदानादेश करने में साथ निहित रहने से सम्बन्ध में समझ आवश्यक आदानादेश सुविधियाँ करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चिता हो कि संस्था में अतिरिक्त/सहायित उपकरणों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित समिति को संस्था उपकरण कराये गये अतिरिक्त, सुनिश्चित, अतिरिक्त, उपकरण आदानादेश का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संबंध में प्रयोग किया जाता है और अतिरिक्त को इच्छा प्राप्तकारी होती है कि प्रस्ताव आदानादेश का प्रयोग किसी अन्य कार्य में किए गए नहीं है तो अतिरिक्त संस्था की सम्बद्धता समझ किये जाने की अनुपालन की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता रात्रि का अनुपालन न किया जाने अथवा रात्रि का अनुपालन किये जाने की स्थिति में विधानानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(डा० आशुतोष सिंह)
सचिव

पृष्ठसं- आशु/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1572-3141

दिनांक: 15-08-2020

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, पीजीआई कॉलेज ऑफ पारंपरिक शिक्षा- राजकुटीनपुर, परगना-पश्चिम रात्रि, रात्रि-बीकानेर, राजस्थान।


(डा० आशुतोष सिंह)
सचिव